बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021– 1387

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 11/06/26

विषय : सिंचाई प्रमंडल, जमुई अंतर्गत जमुई कौआकोल पथ बड़ीबाग से खड़गौर मंझवे RCD पथ हरला मोड़ तक पथ निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जमुई, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक 1746 दिनांक 28.11.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तो के साथ सिंचाई प्रमंडल, जमुई अंतर्गत जमुई कौआकोल पथ बड़ीबाग से खड़गौर मंझवे RCD पथ हरला मोड़ तक पथ निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. नहर बांध पर पथ निर्माण के क्रम में यदि नहर भूमि के अलावे निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता हो, तो उक्त अधिग्रहण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।
2. प्रस्तावित पथ निर्माण के क्रम में आवश्यकतानुसार क्रॉसिंग बिन्दुओं पर पुल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के पत्रांक PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट–I-485 दिनांक 29.08.2024 के आलोक में अलग से प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य (स्थायी / अस्थायी) के कारण आस–पास निर्मित किसी भी संरचना से कोई छेड़छाड़ / क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित स्थल पर विभागीय स्वामित्व बना रहेगा।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दरम्यान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

8. प्रस्तावित पथ निर्माण के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

9. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।

10. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।

11. प्रस्तावित निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।

12. भविष्य में पथ का मरम्मति या विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

13. प्रस्तावित निर्माण कार्य से जल प्रवाह / Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिये।

14. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दरम्यान नहर तल / चाटलैंड से मिट्टी नहीं काटी जाय।

15. वर्तमान में प्रगति यात्रा से संबंधित अपर किउल मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 19.60 तक का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 21.01.2027 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। अतः वर्तमान में कार्यान्वित विषयांकित कार्य के पूर्ण होने के उपरांत ही मुख्य नहर के दायां बैंक पर पथ निर्माण कराया जाय। इसके अतिरिक्त कैरियर कैनाल एवं खड़सारी शाखा नहर के दायां बैंक पर रूपांकित सेक्शन के अनुसार मिट्टी भरते हुये समुचित संपीडन कर पथ निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

16. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021– 1387 पटना, दिनांक : 11/06/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021– 1387 पटना, दिनांक : 11/06/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय